बिहार लोक सेवा आयोग

15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना – 800001

साक्षात्कार का विस्तृत कार्यक्रम एवं निदेश

66वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अन्तर्गत दिनांक 06.07.2022 को प्रकाशित मुख्य (लिखित) परीक्षा के अतिरिक्त परीक्षाफल में सफल उम्मीदवारों के साक्षात्कार का विस्तृत कार्यक्रम एवं निदेश निम्न प्रकार हैः–

क्र.सं.	दिन एवं दिनांक	प्रथम पाली (समयः 10:30 बजे पूर्वाह्न से) उम्मीदवारों का अनुक्रमांक	द्वितीय पाली (समयः 2:30 बजे अपराह्न से) उम्मीदवारों का अनुक्रमांक
1.	सोमवार 18.07.2022	156290, 194227, 245602, 260199, 329141, 385309	395621, 446378, 455257, 470512

2. उपर्युक्त सभी उम्मीदवारों के साक्षात्कार पत्र **साक्षात्कार की निर्धारित तिथि के एक सप्ताह पूर्व से** आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध रहेंगे, जिसे उम्मीदवार अपना अनुक्रमांक डालकर डाउनलोड कर सकते हैं। **साक्षात्कार पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जायेगा। उक्त वेबसाईट पर आवेदन पत्र का सार प्रपत्र–I एवं विभिन्न सेवाओं/पदों के लिए अधिमानता प्रपत्र–II भी उपलब्ध रहेगा, जिसे उम्मीदवार द्वारा भरकर साक्षात्कार के दिन लाना अनिवार्य है। अधिमानता प्रपत्र जमा करने के पश्चात उसमें कोई परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।**
3. **साक्षात्कार के दिन उम्मीदवारों को मूल विज्ञापन एवं साक्षात्कार पत्र में उल्लिखित अपनी योग्यता सम्बन्धी निम्नांकित मूल (Original) प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं इन सभी की दो स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति भी साथ में लाना अनिवार्य होगाः–**
   - (i) जन्म तिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
   - (ii) स्नातक अथवा समकक्ष डिग्री का प्रमाण पत्र।
   - (iii) स्नातक अथवा समकक्ष डिग्री का अंक पत्र।
   - (iv) अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र **(महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है)।**
   - (v) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र **(महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है)।**
   - (vi) **सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना ज्ञापांक – 6026, दिनांक 19.04.2022 के आलोक में लोहार जाति के उम्मीदवारों को अत्यन्त पिछड़ा वर्ग का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत) लाना अनिवार्य है।**
   - (vii) दिव्यांगता संबंधी वैध प्रमाण पत्र।
     नोटः– अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण (Renewal) नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा।
   - (viii) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी के आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा मनोनीत पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र (सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक 11687 दिनांक 30.08.2016) में निर्गत प्रमाण पत्र।
   - (ix) अधिकतम उम्र सीमा में छूट सम्बन्धी दावा करने वाले ऐसे उम्मीदवार, जो बिहार सरकार के नियमित सरकारी सेवक हैं एवं तीन वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हैं, से सम्बन्धित विभाग के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।
   - (x) अधिकतम उम्र सीमा में छूट सम्बन्धी दावा करने वाले भूतपूर्व सैनिक/एन.सी.सी. के पूर्णकालिक कैडेट के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।
   - (xi) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/अन्य उपक्रम में नियोजित उम्मीदवार के लिए विभाग/संस्थान के प्रधान/प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)।
   - (xii) पहचान पत्र (फोटोयुक्त)।
   - (xiii) दो पासपोर्ट साईज के अद्यतन फोटोग्राफ **(Recent Photograph)**।

   <u>यदि कोई उम्मीदवार साक्षात्कार के दिन उपरोक्त वर्णित सभी मूल प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं करते हैं तो इसके लिए कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।</u> ऐसे उम्मीदवारों की अर्हता के सम्बन्ध में यथासमय समुचित निर्णय लेने/उम्मीदवारों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा।

   योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन पत्र में किया है। योग्यता से सम्बन्धित मूल/औपबंधिक प्रमाण पत्र के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होने की तिथि, ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि (28.10.2020) के पूर्व का ही होना आवश्यक है।
4. (i) यदि आपने आरक्षित पद के लिए दावा किया है, तब साक्षात्कार के समय अनुसूचित जाति/जनजाति के मामले में अपने स्थायी अधिवास अंचल के अंचल अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
   (ii) पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक 673, दिनांक 08.03.2011 एवं पत्रांक 704, दिनांक 10.03.2011 के आलोक में बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में अपने स्थायी अधिवास अंचल के अंचल अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत कर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
5. **साक्षात्कार के लिए बुलाए जा रहे उम्मीदवारों की अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है। साक्षात्कार में शामिल होने मात्र से उनकी अर्हता सम्पुष्ट नहीं होती है। साक्षात्कार के समय या उसके बाद उनकी अर्हता पर यथासम्भव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।**

6. **सभी उम्मीदवार अपने साक्षात्कार के दिन साक्षात्कार पत्र के अलावे अपना एक अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र, यथा–मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस इत्यादि से कोई एक मूल में एवं इसकी 02 छायाप्रतियाँ स्वहस्ताक्षरित कर अपने साथ अनिवार्य रूप से लाना सुनिश्चित करेंगे।**
7. सम्बन्धित उम्मीदवार, उक्त साक्षात्कार कार्यक्रमानुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को साक्षात्कार हेतु निर्धारित समय से 1½ घण्टा पूर्व उपस्थित होंगे।
8. आपके स्वास्थ्य परीक्षण का कार्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट स्थान पर साक्षात्कार के दिन ही सम्पन्न होगा, जिसके लिए आपको 16.00 रू० (सोलह रू०) का शुल्क आयोग के प्रतिनिधि के पास जमा करना होगा, जिसकी प्राप्ति रसीद दी जाएगी।
9. **साक्षात्कार हेतु आमंत्रित उम्मीदवारों को मोबाईल फोन या किसी प्रकार का इलेक्ट्रोनिक गैजेट यथा ब्लू–टूथ, Wifi, इलेक्ट्रोनिक पेन इत्यादि आयोग परिसर में लाना वर्जित है।**
10. **कोरोना संक्रमण (कोविड–19) के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए अद्यतन SOP का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।**

7.7.24

संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना